बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक

संख्या–21/एस0एस0सी0–36/2012, ...नवगठित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा–10 में प्रावधान है कि इस अधिनियम की अनुसूची में यथा–सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर, जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी। परन्तु, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा–सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के कियाशील होने में होने वाले विलम्ब एवं इस बीच उक्त अधिनियम की अनुसूची में वर्णित पदों के चयन की कार्रवाई बाधित होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–13273, दिनांक 22.09.2014 द्वारा यह आदेश दिया गया था कि "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014" की अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए पूर्व में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी अनुसूची में सम्मिलित पदों के लिए परीक्षाएँ आयोजित कर चयन करता था, के लिए चयन के आवश्यक कार्रवाइयाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूर्ववत की जाती रहेंगी । यह आदेश निर्गत होने की तिथि से छः माह अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के कार्यशील होने की तिथि में से जो पहले हो, तक के लिए लागू किया गया था । उक्त अधिसूचना में प्रावधानित छः माह की समय सीमा दिनांक 23.03.2015 को समाप्त हो चुकी है ।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के गठन के उपरांत आयोग के लिए परीक्षा संचालन नियमावली का गठन, आयोग में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा आयोग के कार्यालय भवन के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं उपस्करों का कय आदि की कार्रवाइयाँ प्रकियाधीन हैं। इन कार्रवाईयों के पूरा होने में अभी और समय लगने की संभावना है। इन कार्रवाइयों के पूरा हो जाने के बाद ही आयोग में विधिवत कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

अतः बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम की धारा 16 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम–2014 की अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए पूर्व में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी अनुसूची में सम्मिलित पदो के लिए परीक्षाएँ आयोजित कर चयन करता था, के लिए चयन की आवश्यक कार्रवाइयाँ यथा– विज्ञापन प्रकाशित करना, परीक्षाएँ आयोजित करना तथा नियुक्ति के

संबंध में अधियाचना करने वाले संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा प्रेषित करना आदि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा ।

यह आदेश, निर्गत होने की तिथि से नौ माह अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के कार्यशील होने की तिथि, में से जो भी पहले हो, तक लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

संख्या– संख्या–21/एस0एस0सी0–36/2012,............पटना–15, दिनांक..................

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ भेजने हेतु सी0डी0 सहित प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

संख्या–21/एस0एस0सी0–36/2012,..................पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

संख्या–21/एस0एस0सी0–36/2012,8039..................पटना–15, दिनांक 4-6-15..........................

प्रतिलिपि:–राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/2015

सरकार के अपर सचिव।